तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) — 78/17 सा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — डी.पुरु इन्द्रोबाई बनाम कस्तूर आदि
	17/10/17 पत्रावली न्यायालय [illegible] अधिकारी मांडल से मु स्थानान्तरित होकर [illegible] दर्ज कर पक्षकारान को अ. पैरवी के [illegible] को सूचित करें। पत्रावली दिनांक 16/1/18 को वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा)
16/1/18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 16/4/18 को पेश हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
16/4/18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/4/18 को पेश हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
30/4/18	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी कानून व्यवस्था में अस्त व्यस्त मुख्यालय से बाहर है। अवकाश पर है/[illegible] है अतः पत्रावली दिनांक 30/7/18 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा
13/6/18	पत्रावली मुकाम चावण्डिया कैम्प पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. उपस्थित पक्षकार को सुनाया गया।